यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी के माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.11.2017 से 25.11.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री महेश चन्द पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 10.01.2017 तक श्री अ वनाश चन्द कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया था। जिसमें माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-

(अ) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचा लत बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों/आदेशों का प्रभावी क्रयान्वयन एवं उ चत मार्गदर्शन।

(ब) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं का भौगो लक क्षेत्र समस्त हरिद्वार के वकास खण्ड में स्थित है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			1803.31	1601.84	1587.59	1513.18		275.88
2015-16	--	--	33.88	26.93	258.23	257.19	--	7.99
2016-17	--	--	28.82	24.15	29.34	29.20	--	4.81
2017-18 (up to Nov. 2017	--	--	23.88	21.32	0.21	0.14	--	2.63

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आ धक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
2015-16	कशोरी शक्ति	00	शून्य	00	00	00
2016-17	कशोरी शक्ति	00	शून्य	220000	00	220000
2017-18 Nov. 2017	कशोरी शक्ति	220000	शून्य	00	00	220000
2015-16	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	00	00	00	00	64200000
2016-17	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	00	65000000	800000	00	64200000
2017-18 Nov. 2017	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	64200000	00	00	00	00
2015-16	निर्भया योजना	00	00	00	00	5070
2016-17	निर्भया योजना	00	602700	597630	00	88500
2017-18 Nov. 2017	निर्भया योजना	00	307500	219000	00	

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी,पी,ओ, 4. सी.डी.पी.ओ 5. सुपरवाइजर 6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहायिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर **01: 16.23** लाख के अर्जित ब्याज की धनरा श को शासन को प्रे षत न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰ 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनरा श को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि कसी मद में ब्याज की धनरा श को व्यय कया जाना हो तो वत्त वभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास टिहरी के योजनाओं के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया क वभाग को आबंटित धनरा श पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (अक्टूबर 2017 तक) की अव ध में प्राप्त ब्याज की रा श को 0049 में जमा न करने या धनरा श को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनरा श की मांग शासन से नहीं कए जाने से ब्याज की धनरा श रुपए 16,22,610.00 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की रा श का ववरण निम्नानुसार है:-

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क बैंक में ब्याज की धनरा श प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा वभाग द्वारा ब्याज की धनरा श रूपये 16.23 लाख को शासन को वापस नहीं कया गया था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क वभाग द्वारा उक्त धनरा श को अ वलंब जमा करा दिया जायेगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वभाग द्वारा शासन को धनरा श वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनरा श अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका वकास कार्यों पर उपयोग सुनिश्चित नहीं कया जा सका। अतः वभाग द्वारा रू॰ 16.23 लाख के अर्जित ब्याज की धनरा श को शासन को प्रे षत न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01:** धनरा श रुपए **94.50** लाख की लागत से बनने वाले **21** आगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल वकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन वहीन आगंबाड़ी केन्द्रों के लए पक्का भवन बनाए जाने के लए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्दे शत कया गया था (दिसंबर 2012), इस क्रम मे उत्तराखण्ड मे 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकारण हेतु राज्यान्श रुपए 1659.50 लाख व केंद्रान्श रुपए 4978.50 कुल रुपए 6638.00 लाख की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, (उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015) इसी क्रम मे निदेशालय आई० सी०डी०एस० उत्तरखंड देहारादून के पत्रांक 3606 दिनांक 23.02.2015 द्वारा (सामान्य) अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत जनपद टिहरी हेतु 54 नए आगंनबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 243.00 लाख तथा 09 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 09 लाख कुल रुपए 252.50 लाख तथा पत्रांक 3609 दिनांक 23.02.2015 द्वारा (अनुसू चत जाति) अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत 05 नए आगंबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 22.50 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उतनी ही धनरा श निर्गत हुई थी।

ज़िला कार्यक्रम अ धकारी, टिहरी के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जनपद टिहरी मे कुल 1278 आगनवाड़ी केंद्र तथा 739 मनी केंद्र स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 1265 आगनवाडी केंद्र तथा 693 मनी केंद्र संचा लत हो रहे थे। 1265 आगनवाडी केंद्र एवं 693 मनी केंद्र के सापेक्ष 488 केंद्र कराए के भवन मे संचा लत थे तथा 430 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप मे दर्शाया गया था शेष 880 केंद्र वभागीय अथवा शासकीय भवन मे संचा लत हो रहे थे। जांच मे पाया गया क जनपद मे 59 आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 4.50 लाख लाख की दर से रुपए 265.50 लाख की धनरा श, प्राप्ति ति थ के 2 माह बाद वकास खंडो को हस्तांतरित की गयी थी, ववरण निमन्वत था –

क्र0 सं0	वकास खण्ड का नाम	बाल वकास परियोजना का नाम	केन्द्रों की संख्या	दिनांक	धनरा श (लाख मे)
1	चम्बा	चम्बा	06	19.05.2015	27.00
2	प्रताप नगर	प्रताप नगर	06	19.05.2015	27.00
3	हिंडोलाखाल	हिंडोलाखाल	06	19.05.2015	27.00
4	भलंगना	भलंगना	08	19.05.2015	36.00
5	थौलधार	थौलधार	06	19.05.2015	27.00
6	थत्यूड़	थत्यूड़	06	19.05.2015	27.00
7	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	06	19.05.2015	27.00

8	जाखड़ीधार	जाखड़ीधार	06	19.05.2015	27.00
9	नरेन्द्र नगर	नरेन्द्र नगर	09	19.05.2015	40.50
			59		265.50

आगे जांच मे पाया गया क धनरा श निर्गत करने के 30 माह बाद भी सम्प्रेक्षा ति थ तक (11/2017) 59 मे से 21 आगनवाडी केन्द्रो का निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अ पतु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे 75% भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 265.50 लाख की धनरा श व्यय के बाद भी रुपए 94.50 लाख की लागत के 21 आगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी न केवल अपूर्ण अ पतु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी, जब क जनपद मे 488 आगनबाड़ी केन्द्र कराए के भवन मे संचा लत थे। आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे वलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से कराए के रूप मे अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ रहा था, जो क सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से हानि थी।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क कार्यदायी संस्था खण्ड वकास अ धकारी है जो मनरेगा के सहयोग से निर्माण कार्य करा रहे हैं मनरेगा की धनरा श समय पर उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण में वलम्ब हो रहा है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क धनरा श रुपए 94.50 लाख की लागत से बनने वाले 21 आगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी न केवल अपूर्ण था अ पतु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी, जब क जनपद मे 488 आगनबाड़ी केन्द्र कराए के भवन मे संचा लत थे।

अतः धनरा श रुपए 94.50 लाख की लागत से बनने वाले 21 आगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य 30 माह का समय बीतने के बाद भी अपूर्ण रहने था तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **02:** कशोरी शक्ति की धनरा श **₹ 2.20** लाख को अवरुद्ध रखा जाना ।

भारत सरकार की दिशा निर्देशानुसार राज्य में कशोरी शक्ति योजना 09 जनपदों के कुल 70 परियोजनाओं में संचा लत है इस योजना के अन्तर्गत i) 11-18 वर्ष की कशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार लाना। ii) अनौपचारिक शक्षा के माध्यम से कशोरी बा लकाओं को अपे क्षत साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करना। iii) कशोरी बा लकाओं में गृह- आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों का सुधार करना। iv) समाज के उत्पादक और उपयोगी सदस्य के रूप में व भन्न गति व धयां आयोजित करने के लए कशोरियों को प्रोत्साहित करना। निदेशालय के पत्र संख्या सी 2567/2982(QPR-ksy) 2014-15 दिनांक 14.12.2014 में इस सम्बंध निर्देश दिया गया है क कशोरी शक्ति योजना की कार्य योजना बनाते हुये योजना का क्रयान्वयन कया जाए तथा योजना के क्रयान्वयन की मा सक / त्रैमा सक रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।

निदेशालय के पत्र क्रमांक सी 2846 / बजट- 4073/2016-17 दिनांक 27.02.2017 को वत्तीय स्वीकृति रुपए 7700000/- के सापेक्ष रूपये 1980000/- का आबंटन कया गया जिसमें जनपद टिहरी के लए धनरा श रूपये 220000/- क धनरा श जारी की गयी। जिस मद में आबंटित धनरा श का व्यय न हो / बचत हो को दिनांक 31 मार्च 2017 तक व्यय आग णत कर बचत रा श का समर्पण कोषागार के माध्यम से तत्काल मुख्यालय को करना सुनिश्चित करें। कशोरियों के व्यावसायिक कौशल वकास निर्माण के लए बैंक /पोस्ट आ फस / स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व्यावसायिक प्र शक्षण केन्द्र / कम्प्यूटर प्र शक्षण केन्द्र आदि से संबन्धित जानकारियां प्रदान की जानी थीं।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास, टिहरी की कशोरी शक्ति योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया क योजना के अन्तर्गत प्र शक्षण प्रदान करने के लए वभाग को वर्ष 2016-17 के लए प्राप्त धनरा श रूपये 220000/- से कार्य योजना को तैयार कर योजना के क्रयान्वयन के लए कार्यवाही की जानी थी ले कन वभाग द्वारा न तो योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन हेतु कोई कार्यवाही की गयी।

उक्त ववरण से स्पष्ट है क वभाग की उदासीनता के कारण योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन की मा सक / त्रैमा सक रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराई गई तथा धनरा श रुपए 2.20 लाख को जिला कार्यक्रम अ धकारी के पद नाम खाते में अवरुद्ध रखा गया।

उक्त के सम्बंध इं गत कए जाने पर जिला कार्यक्रम अ धकारी ने अवगत कराया क धनरा श मार्च 2017 में प्राप्त हुई थी जिस कारण कार्य कए जाने की औपचरिकताए पूर्ण नहीं हो पायीं

धनरा श आहरित कर डीपीओ पद नाम खाते में जमा थी, औपचरिकताए पूर्ण कर व्यय की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क निदेशालय के यह स्पष्ट निर्देश थे क जिस मद में आबंटित धनरा श का व्यय न हो / बचत हो को दिनांक 31 मार्च 2017 तक व्यय आग णत कर बचत रा श का समर्पण कोषागार के माध्यम से तत्काल मुख्यालय को करना सुनिश्चित कया जाना था तथा वभाग की उदासीनता के कारण योजना की कार्य योजना को बनाने की कार्यवाही की गयी और न ही योजना के क्रयान्वयन की मा सक / त्रैमा सक रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये गये।

अतः कशोरी शक्ति की धनरा श ₹ 2.20 लाख को अवरुद्ध रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **03:** मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं कया जाना।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास वभाग के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचा लत योजनाएँ, जिला कार्यक्रम अ धकारी एवं बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय के माध्यम से आगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा क्रयान्वयन कया जाता है, योजनाओं से संबन्धित धनरा श बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर आगनवाडी कार्यकत्रि के बैंक खाते मे हस्तांतरित कया जाता है। संचा लत योजनाओ के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास परियोजना अ धकारी एवं सुपरवाइजर का होता है।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 196-97 दिनांक 21.5.2002 द्वारा आगानवाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के सम्बंध मे दिशानिर्देश जारी कया गया था, उक्त के अनुसार वभाग के अंतर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवन हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी को माह 5 से 10 दिन बाल वकास परियोजना अ धकारी को 10 से 15 दिन तथा मुख्य से वका (सुपरवाईजर) को 15 से 20 दिन प्रति माह भ्रमण कया जाना अनिवार्य होगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास वभाग टिहरी के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं एवं उसके निष्पादन हेतु जनपद मे जिला कार्यक्रम अ धकारी का 01 पद, बाल वकास परियोजना अ धकारी के 09 पद तथा सुपरवाइजर के 50 पद स्वीकृत हैं। जांच मे पाया गया की जनपद टिहरी मे जिला कार्यक्रम अ धकारी के पद पर तैनात हैं जिनके पास 04 बाल वकास परियोजनाओं का भी चार्ज था, जिला कार्यक्रम अ धकारी के कार्यभार के साथ साथ 04 बाल वकास परियोजना का कार्यभार वहन करना वशेषकर पहाड़ी क्षेत्र मे कसी भी दशा मे व्यावहारिक नहीं था। इसी प्रकार 09 बाल वकास परियोजना अ धकारी के सापेक्ष मात्र 01 पद पर तैनाती थी, जिनके पास 05 बाल वकास परियोजना का कार्यभार था, टिहरी जनपद की वषम भौगो लक परिस्थिति मे 05 परियोजनाओं का कार्यभार एवं उत्तरदायितत्वों का पालन एक बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा कर पाना संभव नहीं था, तथा शेष 08 पद रिक्त थे। 50 सुपरवाइसर के पद के सापेक्ष 40 पद पर तैनाती थी शेष 10 पद रिक्त थे। 25 आगनवाडी केन्द्रो पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्रा वधान है, जनपद टिहरी मे 1958 (मुख्य केंद्र 1265 तथा मीनी 693) केंद्र संचा लत हैं। 1958 केन्द्रो के सापेक्ष मात्र 40 सुपरवाइजर की तैनाती स्वतः प्रद र्शत करती है की एक सुपरवाइसर को औसतन 49 केन्द्रो के पर्यवेक्षण का दायितत्व था। एक सुपरवाइसर द्वारा एक माह मे, पहाड़ी क्षेत्र मे 49 आगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कया जाना कसी भी दशा मे संभव नहीं था, इससे स्पष्ट है क आगनवाड़ी केन्द्रों का हर माह निरीक्षण नहीं कया जा रहा था। इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम अ धकारी की

निरीक्षण पंजिका का संधारण नहीं कया जा रहा था, जिससे परिल क्षत होता की जिला कार्यक्रम अ धकारी द्वारा प्रति माह कतने दिन अपने क्षेत्र का भ्रमण कया जा रहा था। अ भलेखो को निर्धारित मानको के अनुरूप क्षेत्र के भ्रमण का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है की जनपद टिहरी मे, बाल वकास वभाग के अन्तर्गत स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचरियों एवं अ धकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई भी प्रयास नहीं कया गया था। वभाग के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्रा वधानों के अंतर्गत नहीं कया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इं गत कए जाने पर जिला कार्यक्रम अ धकारी ने अवगत कराया क जिला कार्यक्रम अ धकारी के द्वारा प्रति माह 03 केन्द्र का भ्रमण कया गया जनपद में बाल वकास परियोजना अ धकारी के 01 पद एवं सुपरवाइज़र के 10 पद रिक्त होने पर कार्यरत सुपरवाइजरों के माध्यम से ही कार्य लए जा रहे जिस कारण योजनाओं के अनुश्रवण व मूल्यांकन पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क जिला कार्यक्रम अ धकारी के अन्तर्गत कार्यालय मे स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अ धकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं कया गया था। वभाग के अन्तर्गत संचा लत योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्रा वधानों के अंतर्गत नहीं कए जा रहे थे।

अतः मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
55/2012-13	शून्य	01	शून्य
08/2014-15	शून्य	02	02
125/2016-17	शून्य	1,2,3	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
55/2012-13	01	भाग-दो (ब)	यथावत	
08/2014-15	02 02	भाग-दो (ब) STAN	यथावत	
125/2016-17	1,2,3,4	भाग-दो (ब)	यथावत	

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री वक्रम संह	जिला कार्यक्रम अ धकारी	22/11/2014 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, टिहरी को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.